

FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, मुकाम जयपुर

मांगीलाल बनाम उप तहसीलदार व अन्य

किस्म मुकदमा- प्रा.पत्र बाजदायरी धारा एल.आर.एक्ट 1956 प्रा.पत्र बाज. संख्या 118/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
06.09.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी श्री धर्मेन्द्र कुमार दायमा एड. उपस्थित। वकील अपीलार्थी को वहस एडमिशन पर सुना गया। प्रा. पत्र बाजदायरी श्रवण योग्य होने से विचारार्थ ग्रहण किया जाता है। दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेन्ट की तलबी रजि. ए.डी. नोटिस से कर पत्रावली दिनांक 21.09.2022 को मूल अपील के साथ पेश हो।</p> <p>(डॉ. गिरीश पाराशर) अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर</p> <p>पत्रावली पेश हुई। यह बात मूल पत्रावली कर रजि. नोटिस के तलबी पर जज ने पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 12/9/22को पेश हो।</p> <p>अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर</p>	जारी
21/9/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी ने रेस्पों. नं. 1 से 2 के जारी रजि. AD नोटिस की ड्रैफ्ट-कम्प्लायमेंट रिपोर्ट पेश की। जामिल फा. हो। 1 व 2 की जोर से श्री एडवोकेट केवल वरुण एफ.एस. देवु समझ रहा। पत्रा. वास्ते पत्रावली दिनांक 21/9/22 को पेश हो।</p> <p>अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर</p>	
31/10/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथी उप. वकील रेस्पों. नं. 30। वकील उभयपक्ष को प्रत्येक पर रजिस्ट्रेशन 500/- रु. की कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर मूल अपील रजिस्ट्रार की पता है। पत्रावली फाइल नुमांदा होकर नुमांदा के कर की जाकर इमार्केत प्रेषित रहे। अदला मुनाया गुण्य।</p> <p>अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर</p>	